



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

अष्टादश विधान सभा

तृतीय सत्र

मंगलवार, तिथि 21 जुलाई, 2026 ई०

30 आषाढ़, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री संजय कुमार, प्रकाश चन्द्र एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [योजना एवं विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. सर्वश्री रूहेल रंजन, मौशरीक मृणाल एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
5. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
6. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
7. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

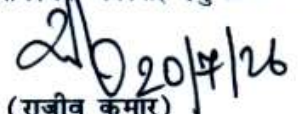
“बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026”

8. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
9. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
10. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026” पर विचार हो ।
11. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026” स्वीकृत हो ।

33. गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
34. गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
35. गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।
36. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

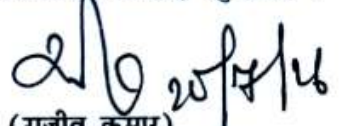
पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2026- 3296 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 जुलाई, 2026 ई० ।
प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2026- 3296 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 जुलाई, 2026 ई० ।
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2026- 3296 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 जुलाई, 2026 ई० ।
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

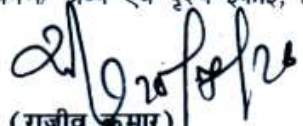
निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2026- 3296 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 जुलाई, 2026 ई० ।
प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-06/2026- 3296 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 जुलाई, 2026 ई० ।
प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक/ संयुक्त निदेशक / उप सचिवगण/ श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना ।

20-07-26